न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 187 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. मंगलसिंह पुत्र कानसिंह 2. अर्जुन उर्फ लुणसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालोणियों की ढाणी, बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.अर्जुनदास पुत्र बालकिशन का मु 1 / 1वासूदेव पुत्र अर्जुनदास जाति जोशी निवासी बाड़मेर। 2.जुगतसिंह पुत्र लखसिंह 3.गोरधनसिंह पुत्र लखसिंह 4.ईश्वरसिंह पुत्र लखसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 210 / 2006 बअनवान मंगलसिंह बनाम अर्जुनदास में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध पेश हुआ।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री दलपतसिंह सिसौदिया अपीलांट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राणाराम गौंड़ रेस्पोडेंट संख्या 02 से 03 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 / 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.12.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया जिसमें अंकित तथ्य है कि वादीगण के पैतृक स्वामित्व एवं कब्जे की खातेदारी भूमि मौजा लालाणियों की ढाणी बाड़मेर आगोर के खेत खसरा संख्या 406 रकबा 17.13 बीघा आई हुई है वादग्रस्त आराजी पर वादीगण / अपीलांट की ढाणी, टांका आदि बने हुए है। वादग्रस्त आराजी का पट्टा भी वादीगण के पिता के पक्ष में जारी हुआ था लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 अर्जुनदास जो कि उस समय स्वयं पटवारी के पद पर बाड़मेर तहसील में कार्यरत था उसने अपने पद के प्रभाव से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम गलत रूप से बीच में साजशी के तौर से अंकित करवा दिया तथा पर्चा लगान के अवलोकन से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात हेतु निश्चित की गई एवं बहस आवेदन हेतु विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय व डिक्री अपीलांट/वादी की अनुपस्थित में पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम करने के स्टेज पर विचाराधीन था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट बाड़मेर आगोर में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादी को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद निराधार एवं विधि सम्मत नहीं होने से दिनांक 07.06.2017 केम्प कोर्ट में खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्रतिवादी संख्या 01 के फौत होने पर उनके विधिक वारीसो को रैकर्ड पर लेने हेतु निश्चित थी परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.05.2012 पर किसी प्रकार का निर्णय पारित किये बिना ही मृत प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध यह निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बाड़मेर आगोर में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है। वादी/अपीलांट अपना वाद अधीनस्थ न्यायायल में साबित नहीं कर पाये इसलिए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। सेटलमेंट के 60 वर्ष बाद दावा पेश किया गया है। पर्चालगान के समय बालकिशन फौत हुआ सेटलमेंट के समय बालकिशन जीवित था। संवत 2015 के बाद अर्जुनदास पटवारी लगा केवल कल्पना के आधार पर तथ्य पेश करना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाती है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा नियमित रूप से अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से उक्त पत्रावली की पेशी तारीख का पता किया जाता रह जिस पर रीडर साहब द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2017 को अपीलकर्ता के अधिवक्ता को सूचित किया कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 07.06. 2017 को निर्णित कर दिया गया है। तब उसी दिन आलोच्य निर्णय की नकल मांगी गई जो दिनांक 01.12.2017 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। वास्ततिक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय बाड़मेर आगोर में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। उभयपक्ष की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 210/2006 बअनवान मंगलसिंह बनाम अर्जुनदास में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.06.2017 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे।

06/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

06/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner